फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी — मुकाम किशनगढ जिला अजमेर

प्रार्थीः– सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ।

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 58, 59, 60, 66, 86 भू.अभिलेख नियमावली 1957 बाबत चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु।

दर्ज दिनांक 06/3/2026

प्रार्थना पत्र संख्या 55 / 2026

ऑनलाईन संख्या 2026 / ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.3.2026	तहसीलदार किशनगढ द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6 /2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 अन्तर्गत आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने हेतु ग्राम रलावता के खसरा संख्या 678/1 रकबा 1.2216 हैक्टेयर में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा संख्या 678/1 रकबा 1.2216 हैक्टैयर में से एक प्रचलित रास्ता है जिसका रकबा कुल रकबा 1.2216 हैक्टैयर है, रास्ता काफी वर्षों से प्रचलित है एवं कदीमी है। यह रास्ता उक्त खसरा नम्बर में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। मौका पर्चा के अनुसार उक्त रास्ता मेगा हाइवे से हरमाडा रोड के रूप में जाना जाता है, चलायमान है, उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु हमारे समक्ष प्रस्तावित किया गया है। हमारे द्वारा पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के द्वारा अभिशंसित सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज राजकीय भूमि खसरा संख्या 678/1 को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 678/1 में से रकबा 1.2216 हैक्टेयर जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पूर्व खाते में ही रहेगी केवल किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट किशनगढ

कमांक/राजस्व/2026/55 दिनांक 06.3.2026

– रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश–

राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 06 विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं वर्तमान में चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने बाबत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत रलावता स्थित भूमि खसरा संख्या 678/1 रकबा 1.2216 हैक्टैयर में से वर्तमान में चालू रास्ते रकबा 1.2216 हैक्टेयर का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा संलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

कमांक/सम/55 दिनांकः 06/3/26

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार
2. भू–अभिलेख निरीक्षक वृत
3. पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ